रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2012/आषाढ़ 13, 1934

No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2012/ASADHA 13, 1934

## शहरी विकास मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2012

**सा.का.नि. 533(अ).**—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर कला आयोग में सचिव के पद पर भर्ती संबंधी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय बहुकार्य कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **प्रारम्भिक गठन.**— इन नियमों के लागू होने से पूर्व दिल्ली नगर कला आयोग में इस पद से संबंधित उक्त अनुसूची में उल्लिखित पदधारी इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किए गए माने जाएंगे और नियमित आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा को उच्च पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु ध्यान में रखा जाएगा ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्तियां.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतन मान | चयन अथवा अचयन पद | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियामवली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोडे गए वर्षों का लाभ अनुमेय है | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नतियों पर भी लागू होंगी ? | परिवीक्षा अवधि यदि कोई है | भर्ती की पद्धति - सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रति नियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में वे श्रेणियां जिसे प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | 14 |
| एक | लागू नहीं | 3700-6700 + ग्रेड वेतन 8700 रू | लागू नहीं | लागू नहीं | 50 वर्ष | अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकरिता/नगर नियोजन में डिग्री अथवा समतुल्य ।<br>वांछित:<br>(क) स्थानीय निकाय/नगर क्षेत्र \में नगर नियाजेन/वास्तुकरिता में 15 वर्षों का अनुभव<br>(ख) दिल्ली भवन उप नियमों की पूर्ण जानकारी<br>(ग) नगर नियोजन के क्षेत्र में किया गया मूल कार्य | लागू नहीं | सीधी भर्ती वालो के लिए दो वर्ष | प्रतिनियुक्ति न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा | प्रतिनियुक्ति: सार्वजनिक निर्माण कार्यों अथवा नगर नियोजन से संबंधित कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार अथवा संगठनों के अधिकारी (I) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारित (II) 15600-39100 रू के वेतनमान तथा 7600 रू | विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होगें है:<br>(1) शहरी विकास मंत्रालय में सचिव अथवा उपर सचिव-अध्यक्ष;<br>(2) अध्यक्ष, दिल्ली नगर कला आयोग-सदस्य; और<br>(3) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण सदस्य | लागू नहीं |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में की गई पांच वर्षों की नियमित सेवा; अथवा (III) 15600-39100 रू के वेतनमान तथा 6600 के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में की गई 10 वर्षों की नियमित सेवा। | | |

[सं. ए-11013/7/2005-डीडीआईए]

पी. टी. जेम्सकुट्टी, अवर सचिव

224

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2012

**G.S.R. 533(E).**—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Secretary in the Delhi Urban Art Commission, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Secretary) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band, grade pay and pay scale.- The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification, etc .- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to (14) of the said Schedule.

4. Initial constitution.- The incumbent of the post mentioned in the said Schedule appointed to the post in the Delhi Urban Art Commission before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by him on regular basis shall be taken into account for the purpose of promotion to the higher post.

5. Disqualifications .- No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

7. Savings .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

225

## SCHEDULE

| Name of post. | Number of Post. | Classification. | Pay band, grade pay and pay scale |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Secretary. | One | Not applicable | Rs.37400-67000 plus grade pay Rs.8700 . |

| Whether selection post or non-Selection post. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. | Age limit for direct recruits. |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| Not applicable | Not applicable. | 50 years. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| <u>Essential:</u><br>Degree in Architecture/Town Planning or equivalent from a recognized university.<br><u>Desirable:</u><br>(a)15 years' experience in Town Planning/Architecture in local bodies/townships.<br>(b) Good knowledge of Delhi's building bye-laws.<br>(c) Original work done in field of Town Planning. | Not applicable. | Two years for direct recruits. | Deputation failing which by direct recruitment. |

| In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which deputation or absorption to be made. | If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (12) | (13) | (14) |
| Deputation: Officers of the Central Government or organisations dealing with public works or town planning -<br>(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department, or<br>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600; or<br>(iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600. | Departmental Promotion Committee consisting of –<br>(1) Secretary or Additional Secretary in the Ministry of Urban Development-Chairperson;<br>(2) Chairman, Delhi-Urban Art Commission- Member; and<br>(3) Vice-Chairman, Delhi Development Authority – Member. | Not applicable. |

[No. A-11013/7/2005-DDIA]

P. T. JAMESKUTTY, Under Secy.

2448GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.